RAJYA SABHA

Wednesday, the 27th February, 1991/8 Phalguna, 1912 (Saka)

The House met at eleven of the clock, **Mr. Chairman** in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Persons killed in road accidents

*61. SHRI SURESH PACHOURI:
SHRI S. S. AHLUWALIA:†

Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that nearly 50,000 persons were killed in road accidents in the country during 1990;

(b) if so, what are the main reasons for such a large number of deaths due to road accidents;

(c) whether the number of such deaths in 1990 was much higher than those during the previous 3 years; and

(d) if so, what steps are proposed to be taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI MANUBHAI KOTADIA): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Information is not available at present in respect of States and Union Territories for the year 1990. However, from the information available, it could be estimated that over 54,000 persons were killed in road accidents in the country during 1990.

(b) The main reasons for the large number of deaths due to road accidents are:—

(i) Human failure on the part of the driver and other road users;

(ii) Rash and negligent driving.

(c) As replied in part 'a' of the question, the exact figures of the number of deaths in road accidents during 1990 are not available. However, it is estimated that the number of deaths in 1990 is higher than the previous 3 years.

(d) The main steps taken/being taken by the Central Government are:—

(i) The Motor Vehicles Act, 1988 and the rules framed thereunder provide for stricter requirements in respect of issuance of driving licences, and stringent penalties for offences.

(ii) Formal training in driving in a driving school is made a pre-requisite for issuance of licence to drive transport vehicle.

(iii) Maximum safe laden weights have been prescribed for trucks including light commercial vehicles.

(iv) Maximum speed limits have been prescribed for all vehicles, except light motor vehicles.

(v) Uniform intervals for checking the fitness of vehicles have been prescribed throughout the country.

(vi) It is prescribed that the road safety devices would be fitted in the vehicles viz. direction indicators with blinker system for twowheelers, dual brake system for vehicles, special labels on carriages carrying dangerous hazardous goods.

(vii) A National Road Safety Council has been set up for formulation of road safety measures. State Governments were also requested to set up State level road safety councils.

(viii) In order to promote road safety consciousness, road safety weeks are organised all over the country.

(ix) Efforts are being made to improve the condition of the roads so as to facilitate smooth flow of traffic.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri S. S. Ahluwalia.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, मेरा सवाल बहुत साधारण सा था मैंने पूछा था कि पिछले साल पूरे वर्ष में सड़क की दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई है । मेरे पास जो आंकड़े थे वे 50 हजार के हैं लेकिन सरकार ने उसमें चार हजार और बढ़ा दिए हैं और यह संख्या 54 हजार की दी गई है । इन दुर्घटनाओं का मुख्य कारण यह बताया गया है कि –

"Human failure on the part of the driver and other road users;" Then, "Rash and negligent driving;"

इसके बाद जो 9 इन्होंने प्रिकोशन्स लिये हैं । उनको देखकर बड़ा आश्चर्य होता है । अगर यह human failure on the part of the driver and other road users के बारे में तो इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं । रोड यूजर में तो एक पथिक भी आता है, एक पिडिस्ट्रियन जो रास्ते पर चलता है वह भी आता है । उसकी ट्रेनिंग के लिए आपने क्या कोशिश की है ? उसको लैफ्ट साइड पर चलना चाहिए या राइट साइड पर चलना चाहिए, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है । अगर आप फ्रांस में चले जायें तो वहां आप पाएंगे कि राइट साइड पर चलते हैं । लेकिन आप बिहार में चले जायें तो पाएंगे कि लोग उल्टी तरफ चलते हैं .. **(व्यवधान)** मैं वहां का सदस्य हूं । इन्होंने जो प्रिकोशन्स लिए हैं उसमें यह बताया है कि एक कन्डीशन यह है कि उसको ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए ड्राइविंग स्कूल से टैस्ट पास करना पड़ेगा । मैं यह पूछना चाहता हूं कि आप हमें यह बताइए कि क्या कोई सरकार इस प्रकार का स्कूल चलाती है जहां पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाती हो ? मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कोई स्कूल सरकार नहीं चलाती है । जितने भी इस प्रकार के स्कूल हैं वे सब प्राइवेट स्कूल हैं । इसलिए क्या प्राइवेट स्कूलों की दलाली के लिए यह सरकार है और उनका प्रचार करना चाहती हैं ? अगर यह ट्रेनिंग जरूरी है तो सरकार को हर शहर में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने चाहिएं जहां पर ड्राइविंग की ट्रेनिंग दी जाय । यहां पर लोग "एल" का स्टीकर लगा कर ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेते हैं । मैं गुरुद्वारा रकाब गंज रोड पर रहता हूं । वहां पर सुबह आपको बीसियों गाड़ियां ऐसी मिल जाएंगी जो लेडीज को ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रही होंगी । मुझे तो डर लगता है कि कभी किसी लर्निंग ड्राइवर से मेरी टक्कर न हो जाय .. **(व्यवधान)** मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल में कितनी याचिकायें दर्ज की गई हैं और ये जो 54 हजार लोग मरे हैं इनकी कितनी याचिकायें क्लेम के लिए दर्ज की गई हैं कितनों के उन्होंने फैसले किए हैं और कितनों के नहीं किए हैं, उनके क्यों नहीं किए हैं, कृपया यह बतायें ।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : सभापति महोदय, जो ट्रिब्यूनल के लिए माननीय सदस्य ने जानना चाहा है उसके बारे में मुझे कहना है कि ट्रिब्यूनल मेरे मंत्रालय के कारोबार में नहीं आता है । इसलिए उनकी फिगर्स मेरे पास नहीं हैं । अगर माननीय सदस्य चाहें तो मैं वे फिगर्स मंगवाकर उनको दे सकता हूं ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, यह तो अधूरा ही जवाब मिला मुझे ।

श्री सभापति : वे कहते हैं कि ट्रेनिंग उनके जिम्मे नहीं है ।

SHRI S. S. AHLUWALIA: I am talking about claims.

54 हजार लोग जो मर गए हैं, उनको क्लेम दिया या नहीं दिया ?

श्री सभापति : वह ट्रिब्यूनल उनके पास नहीं है ।

SHRI MANUBHAI KOTADIA. I cannot answer that because that is not within my purview.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इसके लिए क्या कोई पैरामीटर उन्होंने बनाया है ? क्या कोई नेशनल पैरामीटर

बना हुआ है हाई-वे मैनेजमेंट के लिए ? महोदय, हम देखते हैं कि नेशनल हाई-वे की कंडीशन जहां पंजाब में, हरियाणा में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में सवर्न एरिया में कितनी अच्छी है, वहीं हाई-वे जिसको भी नेशनल हाई-वे अथारिटी कंट्रोल करती है जब यू० पी० में, बिहार में, बंगाल में, या उड़ीसा में घुस आती है तो उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं । आखिर इसके लिए क्या पैरामीटर है ? क्या कोई यूनीफार्म पैरामीटर बनाए हैं, इसकी माप काटी है या पर किलोमीटर जो इनका कन्स्ट्रक्शन है क्या उसमें काफी फर्क आ जाता है ? क्या कमी आ जाती है जो वहां की रोड कंडीशन बैड है ? इस पर विचार करने के लिए क्या आपने कोई इन्क्वायरी की या नहीं की ? अगर नहीं की तो क्या कोई इन्क्वायरी करेंगे ? इसमें सुधार लाने की कोई कोशिश होगी या नहीं होगी ?

प्रधान मंत्री (श्री चन्द्रशेखर) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है वह बहुत सही सवाल है । भारत सरकार के हर नेनशनल हाईवे के लिए एक ही मानदंड है । यह उनको पैसा देती है लेकिन उस पैसे को खर्च करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है । राज्य सरकारें उनको बनाती हैं और उनकी देखभाल करती है । बिहार एक निराला राज्य है जहां से माननीय सदस्य आते हैं । वहां किन कारणों से हाई-वे खराब हैं, इसके बारे में वे जानते हैं । मुझ से कहलवाने की जरूरत नहीं है । ऐसा होने पर दूसरी तरफ के सदस्य मेरी आलोचना शुरू कर देंगे । ....**(व्यवधान)** ... मैं यह कहूंगा कि यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । हम उनसे समय समय पर पूछते रहते हैं, कि रुपया ठीक से खर्च हुआ या नहीं हुआ । लेकिन हर चीज के ऊपर राज्य सरकार के खिलाफ इन्क्वायरी कराना हमारे बस की बात नहीं है ।

जहां तक रोड एक्सीडेंट्स का सवाल है, भारत की आबादी बहुत बढ़ रही है । सड़कें कम चौड़ी हैं और हमारे वाहन अधिक तेजी से बढ़ रहे हैं यह हमारी समस्या है । सही बात यह है कि शिक्षा का अभाव भी एक कारण है लेकिन अनुशासनहीनता एक बहुत बड़ा कारण है । जैसे कि हम देखते हैं, ड्राइवर हो चाहे पैदल चलने वाले लोग हों, उनके लिये पैदल पार पथ बनाये गये हैं लेकिन उनसे न चलकर वे सड़क पर चलेंगे । तो बहुत लोग इससे मरेंगे । इसका हमें दुख है कि लेकिन ऐसी हालत में उनकी मृत्यु को हम रोक नहीं सकते । जो आत्महत्या करना चाहता है उसको रोकने में हम असमर्थ हैं । अगर वे इसे हमारी असमर्थता मानते हैं तो यह हमारी असमर्थता है ।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : क्या उनका कहना है कि इन 54 हजार लोगों ने आत्महत्यायें की हैं ?

श्री राज मोहन गांधी : बिहार की सड़क दुर्घटनाओं को लेकर बिहार की सरकार को हटाने का इरादा है क्या ?

श्री चन्द्रशेखर : जहां सड़कें खराब होती है, माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि वहां दुर्घटनायें कम होती है क्योंकि रोड पर वाहनों की अधिक स्पीड नहीं होती । ऐसा कोई खतरा नहीं है जिस खतरे की वजह से सरकार हटेगी ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, सड़क दुर्घटनाओं में जो अधिक लोग मरते हैं उसका एक कारण यह है कि दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल पहुंचाने का इंतजाम नहीं । अस्पतालों में भी इसके लिये विशेष प्रबंध नहीं है । दिल्ली में एक प्रस्ताव है, जो वर्षों से चल रहा है कि यहां ट्रोमा सेंटर बनाया जाय जहां दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तत्काल लाया जा सके और उनकी देखभाल की जा सके । मैं जानता हूं कि मेरा यह प्रश्न मूल प्रश्न से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है, मगर प्रधानमंत्री जी उपस्थित हैं और बिहार की चर्चा हो रही है तो फिर दिल्ली की चर्चा भी अगर हो जाय तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये ।

श्री चन्द्रशेखर : सभापति महोदय, माननीय सदस्य का सुझाव बहुत उचित है और मैं अवश्य देखूगा कि किस स्तर पर यहां विचार हो रहा है । लेकिन यह बात सही है कि जो लोग दुर्घटनाओं में घायल होते है उनके उपचार के लिये उचित सहायता नहीं मिल पाती है । दिल्ली में तो थोड़ी सहायता मिल भी जाती है, दूसरी जगहों में सहायता इस लिये नही मिल सकती कि हमारे कम्युनिकेशन लिंक्स बहुत कमजोर है । सारी दुनियां में नेशनल हाइवेज पर टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध हैं और ज्यों ही कोई दुर्घटना होती है तुरन्त एम्बुलेंस और सहायता गाड़ियां पहुंच जाती है । हमारा दुर्भाग्य है कि यह व्यवस्था हम नही कर पाये है । टेलीफोन कम्युनिकेशन से स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ने का प्रयास करना होगा ।

SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Sir, accidents are high not only in Bihar and Delhi but in all the 'B' grade cities. Not to speak of the developed countries, in China there is provision for pedestrians, for two-wheelers and for four wheelers. It is seen that in our country it is the two-wheelers which are mostly the victims of the four-wheelers. I would like to know from the hon. Minister whether the Government wants to give a serious thought to grant more funds to make bypasses, more national highways and more circular railways in the cities.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: Sir, everything depends upon the availability of funds. At present we are facing a serious scarcity of funds. In the First Plan the allocation for this sector was 6.7 per cent of the total Plan outlay. In the last Plan I got only 2.9 per cent. So everything depends upon the availability of funds. Whatever is suggested, in future I will definitely look into it.

SHRI SUKOMAL SEN: Sir, road accidents are taking place almost in all the cities, but Delhi has a special peculiarity. I can tell you my experience in Calcutta. If there is an accident, immediately, whether the police comes or not, the common people come and take the injured persons to the hospital and help them in getting immediate treatment. And for that, police does not harass the people who take the injured to the hospital. But here, in Delhi, if somebody get injured in an accident, people are afraid to touch the injured or come near the injured and take him to the hospital because in that case police will harass them Neither the police comes nor the public comes to take the injured person to the hospital This is the situation in Delhi. And so many victims, dead, half-dead, injured lie on the streets; the drivers slip away and nobody comes to their rescue. I would like to know from the hon. Minister, in Delhi how this kind of inhuman treatment to the victims of road accidents can be stopped and how this problem can be tackled, whether the police would be asked to deal with those people, who take the injured persons to the hospital, in a better way than what they are doing now.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: Sir, it is the duty of the police to take the injured persons to the hospital...

MR CHAIRMAN: No, no; his question is different...

SHRI MANUBHAI KOTADIA: We appreciate if any private person helps them. Any deficiency in the implementation of...

MR. CHAIRMAN: He says that the persons taking the victims should not be harassed.

SHRI MANUBHAI KOTADIA: There is no reason to harass the persons who have helped. I would draw the attention of the Delhi Administration to look into it. We are also planning to amend Section 134A of the Motor Vehicles Act which will impose responsibility on the driver and also on the rider of the vehicle for taking the injured person to the nearest hospital. Also, we are thinking of imposing the responsibility on the nearest medical practitioner for treating that injured person and providing him immediate relief.

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : महोदय, यह जो 54 हजार लोग एक्सी-

डेंट्स में मरे है जितने खाड़ी युद्ध में मरे है यह संख्या उनसे भी ज्यादा है। इनको कितना मुआवजा दिया गया, यह मंत्री जी बतायें? इन एक्सीडेंट्स में गवर्नमेंट के कितने और प्राइवेट एजेंसी के कितने हुये है? पैडेस्ट्रियन और साइकिल पर चलने वाले या कार पर चलने वाले कितने मरे है। इसके साथ एक और जानकारी लेना चाहता हूं कि जो आर०टी०ओज० हर डिस्ट्रिक्टस में हैं ये बहुत प्रचंड भ्रष्टाचार करते हैं। उनके एजेंटस लगे हुये है जो लाइसेंस देते हैं।

श्री सभापति : कितने प्रश्न करेंगे।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : इसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है यह मैं पूछना चाहता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इससे जुड़ा हुआ है। जो एजेंटस लगे हुये हैं आर०टी० ओ० में लाइसेंसेज देने के लिये उनके बारे में सरकार को क्या कोई जानकारी है, अगर है तो ये जो अन्दर के लाइसेंस देने के एजेंट्स हैं उनको सरकार एबालिश करने जा रही है या उनके बारे में क्या कदम उठाये जा रही है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मनुभाई कोटाड़िया : माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि कितना कम्पेनसेशन दिया गया है कितने पग से चलने वालों की मृत्यु हुई और कितने एक्सीडेंट्स हुये हैं। सरकारी व्हीकिल्स से कितने घायल हुये और प्राइवेट व्हीकिल्स से कितने हुये... (व्यवधान) यह सब डिटेल का सवाल है.... (व्यवधान)

श्री सभापति : सरकारी का तो दे सकते हैं।

श्री मनुभाई कोटाड़िया: डिटेल मेरे पास नहीं है।

I have to collect all the details from the different States. (*Interruptions*) I have to collect all that information from the different States. Sir, within 10 days it is difficult for me to collect all the information from the different States.

श्री सभापति : बाद में दे दीजियेगा।

SHRI MANUBHAI KOTADIA: I will provide all the information to the hon. Member. He has, while on this question, said that there is some malpractice in the R.T.O. offices. Sir, I am in charge of this Motor Vehicles Act. I have to amend this Act and the implementation is totally left to the State Governments and it is up to the State Governments because R.T.Os. are under the State Governments.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: What about D.T.C.?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : नेशनल हाइवेज के आंकड़े तो इनके पास होंगे।

Mishap of a cargo ship near New-Foundland

*62. SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware that 30 Indians had died when a cargo ship sank in the stormy seas, south-east of New-Foundland in Canada on 3rd February, 1991;

(b) if so, the details thereof; and

(c) what action Government have taken in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF FINANCE AND THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI DIGVIJAY SINGH): (a) Yes, Sir. The ship was reported missing on Friday, 11 January, 1991.

(b) The name of the ship was 'Protektor'. It had a total crew of 33, of which 30 were Indian nationals. No survivors have been located.

(c) Government are in contact with the Canadian authorities who are investigating the incident.

SHRI PRABHAKAR RAO KALVALA (Andhra Pradesh): Sir, it is reported on 11th of January this year that out of the 32 missing people, 30 people are Indians. So, I wanted to know to which part of the country these 30 Indian nationals be-